राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
जिला झुन्झुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– **147 / 2020**

GCMS No.2020/00397

कोयली देवी पत्नी शंकरलाल मीणा जाति मीणा निवासी वार्ड नं. 9 ढाणी रामसागरिया तन् सिहोड़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज.

.... वादिया

ब–ना–म

1. अनिता पत्नी रोताश
2. आरती पुत्री रोताश
3. आशा पुत्री माला
4. उंगता पुत्री माला
5. कैलाश पुत्री मोती
6. कृष्णा पुत्री माला
7. गिरधारी लाल पुत्र बिड़दू
8. नानची पत्नी बिड़दू
9. पूजा पुत्र रामदेवा
10. पूरण पुत्र रामदेवा
11. प्रहलाद पुत्र बिडदू
12. फूली पुत्री मोती
13. बनारसी देवी पत्नी माला
14. बसन्ती पुत्री मोती
15. मंजू पत्नी ओमप्रकाश
16. मीना पुत्री माला
17. रतनलाल पुत्र बिडदू
18. रामावतार पुत्र मोती
19. रोशनी पुत्री रामदेवा
20. शीला पुत्री माला
21. सतीश पुत्र ओमप्रकाश
22. संदीप पुत्र रोताश
23. सुनीता पुत्री माला
24. सुनील कुमार पुत्र माला
25. सपना पुत्री ओमप्रकाश
26. सुमन पुत्री रोताश

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 14:59:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

27. सुशीला पुत्री रामदेवा
28. हरीराम पुत्र बिड़दू
जाति मीणा निवासी ढाणी रामसागरिया तन सिहोड़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
29. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बसई जरिये शाखा प्रबन्धक।
30. इण्डियन ओवरसीज बैंक शाखा मेहाड़ा जाटूवास जरिये शाखा प्रबन्धक।
31. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

.... प्रतिवादीगण

दावा– खाता विभाजन

अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. **श्री धर्मपाल खटाणा** – **वादीया की ओर से**

–:निर्णय :– दिनांक 26/11/25

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18–07–2024 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि **ग्राम सिहोड़** तहसील खेतड़ी स्थित भूमि **हाल खाता संख्या नया 140** में दर्ज खसरा नंबर क्रमशः 350, 351, 352, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 368 कुल किता 10 कुल रकबा 7.38 है. में वादिया का 1/6 हिस्से का अलग से खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बंधी राजस्व विभाग के परित्र दिनांक 06.11.2004 व राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान के परिपत्र क्रमांक प.3(17) राज–6/2021 पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 के बिन्दु संख्या 6 को मध्यनजर रखते हुए माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक रा.म./न्याय/स्था./प–15/2008/विविध/10546 दिनांक 05.10.2020 के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान को लिखित में सूचित कर उनकी उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार (भू.अ.) खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांकः भू.अ./2025/1469 दिनांक 16.06.2025 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता वादिया विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता वादिया ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक [illegible] 2025 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर [illegible] विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16–06–2025 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–7'' एवं प्रदर्श नक्शा ट्रे[illegible]) का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वादिया [illegible] मुताबिक [illegible] दिनांक 16–06–2025 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–7'' एवं प्रदर्श नक्शा ट्रेस–[illegible]) के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 14:59:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलस्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

आदेश

अतः वाद वादीया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16–06–2025 (प्रदर्श–''अ–1 से अ–7'' व प्रदर्श नक्शा ट्रेस–''ब'') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। वादीया के हिस्से का अलग से खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16–06–2025 (प्रदर्श–''अ–1 से अ–7'' व प्रदर्श नक्शा ट्रेस–''ब'') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श नक्शा ट्रेस–''ब'' के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26/11/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 14:59:55 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

उनवान

कोयली देवी

ब–ना–म

अनिता आदि

दावा बाबत **खाता विभाजन**

मुकदमा नम्बर :– **147 / 2020 GCMS No. 2020/00397**

निर्णय दिनांक :– ......26/11/25......

वादीया की ओर से **श्री धर्मपाल खटाणा एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण की ओर से ...... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख ......26/11/25...... को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

"अतः वाद वादीया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16–06–2025 (प्रदर्श–"अ–1 से अ–7" व प्रदर्श नक्शा ट्रेस–"ब") के अन्तिम डिक्री किया जाता है। वादीया के हिस्से का अलग से खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16–06–2025 (प्रदर्श–"अ–1 से अ–7" व प्रदर्श नक्शा ट्रेस–"ब") इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख ......26/11/25...... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 14:59:55 IST
Reason: SelfAttested